

प्रेषक,

आर० राजेश कुमार
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण,
जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट देहरादून।

नागरिक उड्डयन अनुभाग

देहरादून: दिनांक /6 अक्टूबर, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अन्तर्गत बचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों की राजस्व पक्ष में आय-व्ययक की अवशेष धनराशि की स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून 2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु राज्य का आय-व्ययक स्वीकृत होने एवं तत्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम 2017 होने तथा उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या 464/UCADA/Budget/2017-18 दिनांक 18 जुलाई, 2017 एवं संख्या 493/UCADA/Budget/2017-18 दिनांक 04 अगस्त, 2017 द्वारा आय-व्ययक में प्राविधानित अवशेष धनराशि स्वीकृति किये जाने विषयक अनुरोध के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजस्व पक्ष में 20-सहायक अनुदान/अशदान/राजसहायता के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू० 15.00 करोड़ (रूपये पन्द्रह करोड़ मात्र) जिसके सापेक्ष धनराशि रू० 4.00 करोड़ शासन के पत्र संख्या 07 बजट/06/ix/2017 दिनांक 27.06.2017 द्वारा पूर्व में अवमुक्त की जा चुकी है। उक्त के क्रम में अवशेष धनराशि रू० 11.00 करोड़ के सापेक्ष धनराशि रू० 6.00 करोड़ (रूपया छः करोड़ मात्र) आवश्यक व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण देहरादून द्वारा मूल बजट 2017-18 की राज सहायता(Grant) के प्रस्ताव के साथ पिछला आडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट, बैंक पास बुक तथा बोर्ड बैठक में उक्त की संस्तुति सहित रिपोर्ट अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. सम्बन्धित मदों में धनराशि व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका और स्टोर पर्चेज रूल्स, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के प्राविधानानुसार टेण्डर/कोटेशन एवं मितव्ययता से सम्बन्धित नियमों के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
3. व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जाये जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

4. स्थापना का जा रहा धनराशि का व्यय वित्त विभाग क शासनादेश संख्या 610/3(150)/XXII(1)/2017 दिनांक 30-06-2017 के प्राविधानों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-24 के लेखाशीर्षक-3053-नागर विमानन 02-विमान पत्तन 102-हवाई अड्डा 09-उत्तराखण्ड उड्डयन विकास प्राधिकरण 20- सहायक अनुदान/अशदान/राजसहायता के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अ0शा0 पत्र संख्या-375/XXVII (2) /2017 दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,


(आर0 राजेश कुमार)
अपर सचिव।

संख्या-18/06/IX /2017तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की वे उक्त धनराशि का आहरण वितरण नियमानुसार करते हुए मासिक विवरण शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 4- मुख्य कार्यकारी/अपर मुख्य कार्यकारी, अधिकारी उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण देहरादून
- 5- जिलाधिकारी देहरादून।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, डाटा सेंटर 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
- 7- वित्त अनुभाग-1/2, उत्तराखण्ड शासन।
- 8/ एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से


(चिरंजी लाल)
अनु सचिव।